shall not be clubbed.

1.Substituted by G.I. Deptt. of Per. & Trg., O.M.No. 36033/1/2013-Estt. (Res.), dated 27.5.2013.

बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003

(बिहार अधिनियम सं० -16, 2003)

प्रस्तावना - राज्य सरकार द्वारा या तो पूर्णत: या अंशत: सहायता प्राप्त सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों यथा सामान्य, तकनीकी, गैर-तकनीकी, व्यावसायिक आदि में नामांकन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का यथोचित प्रतिनिधित्व हेतु उपबंध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -(1) यह अधिनियम बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. नामांकन में आरक्षण का विनियमन - (1) पूर्णत: या अंशत: सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन निम्नलिखित रीति से विनियमित किया जा सकेगा, यथा।

(क) खुली गुणागुण कोटि से	-	50 प्रतिशत
(ख) आरक्षित कोटि से	-	50 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों में से आरक्षित उम्मीदवारों का विभिन्न कोटियों की रिक्तियों, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन निम्नलिखित रूप में होगी :-

(क) अनुसूचित जातियां	-	16 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजातियां	-	01 प्रतिशत
(ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	-	18 प्रतिशत
(घ) पिछड़ वर्ग	-	12 प्रतिशत
(ङ) पिछड़े वर्गों की महिलायें	-	03 प्रतिशत
कुल	-	50 प्रतिशत

(3) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार की गणना, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते है, खुली गुणागुण कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध की जायेगी न कि आरक्षित कोटि की रिक्तियों के विरूद्ध।

(4) पिछड़े वर्गों की महिलाओं से अभिप्रेत है सभी आरक्षित वर्ग की महिलायें और इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अत्यन्त पिछड़े वर्ग तथा पिछड़े वर्ग की महिलायें सम्मिलित है।

(5) राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के लिये संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रतिशत एवं उनके द्वारा समय-समय पर संशोधित आरक्षण प्रतिशत के अतिरिक्त अन्य कोई आरक्षण देय नहीं होगा।

(6) (क) संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा नामांकन हेतु निर्धारित मापदंड प्राप्तांक आदि के संबंध में निम्नतर अर्हता वाले अभ्यर्थियों को नामांकन का क्रमिक अवसर देने के बाद यदि किसी आरक्षित कोटि का आरक्षण प्रतिशत पूरा नहीं हो पाता है, तो उसे निम्नलिखित रीति से विनियमित किया जायगा।

(1) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच विनियम संभव होगा।

(2) अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों के बीच विनियमन संभव होगा।

(ख) उप-धारा (6) के खंड (क) में अन्तर्विष्ट प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद यदि किसी आरक्षित वर्ग का आरक्षण प्रतिशत पूरा नहीं हो पाता है तो उक्त रिक्तियाँ उसी सत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से उसे सम्यक रूप से अनारक्षित घोषित कर दिये जाने पर उसके विरूद्ध गैर-आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार का नामांकन उक्त सत्र के लिये प्रशासी विभाग द्वारा कर लिया जायेगा।

(ग) पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित रिक्तियों के लिये योग्य उम्मीदवार की अनुपलब्धता की दिशा में उन रिक्तियों को निम्नलिखित अधिमानता क्रम से भरा जायेगा।

(1) अनुसूचित जातियों के उम्मीद्वारों से।

(2) अनुसूचित जनजातियों के उम्मीद्वारों से।

(3) अत्यन्त पिछड़े वर्ग के उम्मीद्वारों से।

(4) पिछड़े वर्ग के उम्मीद्वारों से।

3 अभिलेख मांगने की राज्य सरकार की शक्ति - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्ग की महिलाओं का कोई सदस्य जो नामांकन पदाधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं करने से नामांकन प्रभारी पदाधिकारी के किसी कार्रवाई द्वारा प्रतिकूलत: प्रभावित होता हो तो वह राज्य सरकार को इस तथ्य की सूचना दे सकेगा और उसके द्वारा आवेदन करने पर राज्य सरकार, ऐसा अभिलेख मंगा सकेगी या उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जिसे वह उचित समझे।

4. सद्भावना पूर्व की गई कार्रवाई के लिये किसी कार्यवाही का वर्णन - कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधि कार्यवाही, किसी ऐसी बात के लिये किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित नहीं की जायेगी, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या किये जाने के लिये आशयित हो।

5. शास्ति - यदि कोई नामांकन प्रभारी पदाधिकारी इस अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन कर नामांकन करता है तो वह एक हजार रूपये तक जुर्माने या तीन महीने के कारावास या दोनो से दंडनीय होगा।

6. कठिनाइयों का निराकरण - यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई

Scanned with CamScanner